कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिलाः– वाद संः– 49 / 2020–21 सन्

विषयः– भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में
28/10/2020	जमाबंदीदार श्री / श्रीमती कालीदास पाहन पिता / पति चन्द्रमोहन पाहन मौजा अड़की थाना–अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ट संख्या– IV-07 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०– 02 / 88-89 के आधार पर दर्ज है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।	

भूमि की विवरणीः–

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
अड़की	264	145	659	1.60 एकड़

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक–06 / भूमि का नियमितीकरण–89 / 2020–1704 / रा० दिनांकः– 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांकः– 07/11/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/भौतिक सत्यापन/ दखल–कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांकः–06/ भूमि नियमितिकरण– 89/2020–1704/रा० दिनांकः– 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल–कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती कालीदास पातर .... पिता/पति चन्द्रमोहन पातर मौजा– अड़की थाना–अड़की, जिला–खूँटी के नाम से मौजा– अड़की थाना नं० 264 खाता सं० 145 प्लॉट सं० 659 रकबा– 1.60 डिसमिल लगान 4.90 रूपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा– अड़की .... थाना न० 264 के पंजी- II भौलुम (VOL- IV) के पृष्ट संख्या– 07 पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।